दिनांक 20 जनवरी 2021 को सम्मेलन कक्ष, बराद सदन, शैक्षणिक खंड में सुबह 11 बजे आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 36वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 20 जनवरी 2021 को सम्मेलन कक्ष, बराद सदन, शैक्षणिक खंड में सुबह 11 बजे आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 36वीं बैठक का कार्यवृत्त। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

1.	प्रो. अविनाश खरे कुलपति	-	अध्यक्ष
2.	प्रो. ए.पी.पांडे पूर्व कुलपति मणिपुर विश्वविद्यालय	-	सदस्य
3.	डॉ. रमेश कुमार यादव पूर्व अध्यक्ष हरियाणा किसान एवं कृषि लागत एवं कीमत आयोग	-	सदस्य
4.	प्रो. इंदर मोहन कपाही प्रोफेसर एवं सलाहकार मूलभूत एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान विद्यापीठ महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय	-	सदस्य
5.	श्री जी.पी.उपाध्याय अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, सिक्किम सरकार	-	सदस्य
6.	श्री ताशी डेंसपा निदेशक नामग्याल तिब्बतीय संस्थान	-	सदस्य
7.	डॉ. कबिता लामा डीन, भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ	-	सदस्य
8.	डॉ. लक्ष्मण शर्मा छात्र कल्याण डीन	-	सदस्य
9.	प्रो. एस.एस. महापात्र प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग	-	सदस्य
10.	डॉ. सोहेल फिर्दोस सह प्राध्यापक, भूगोल विभाग	-	सदस्य
11.	प्रो. ज्योति प्रकाश तामांग अध्यक्ष, सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग	-	विशेष आमंत्रित
12.	प्रो. एन.के.पासवान वित्त अधिकारी (प्रभारी)	-	विशेष आमंत्रित
13.	श्री टी.के.कौल कुलसचिव	-	सचिव

निम्नलिखित सदस्य विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन बैठक में उपस्थित रहें :

1. प्रो. गुरमीत सिंह, कुलपति, पॉण्डिचेरी विश्वविद्यालय
2. प्रो. बिद्युत चक्रबर्ती, कुलपति, विश्व-भारती, शांतिनिकेतन
3. प्रो. कृष्ण कुकमार, अध्यक्ष, भौतिकी विभाग, आईआईटी खड़गपुर
4. प्रो. अभिजीत दत्ता, डीन, व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ
5. डॉ. के.आर.राममोहन, डीन, मानव विज्ञान विद्यापीठ

प्रो. महेंद्र सिंह सेवेदा और प्रो. एन. सत्यनारायण उनके पूर्व-निर्धारित कार्य के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सकें।

श्रीमती ग्रेस डी. चेंकापा, सहायक कुलसचिव और श्री सत्यम राणा, सहायक परिषद को सहायता देने के लिए बैठक में उपस्थित थे। श्रीमती डिम्पल राई, तकनीकी सहायक बैठक के दौरान तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए उपस्थित थी।

प्रारंभ में कुलपति ने परिषद की 36वीं बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने पहली बार बैठक में भाग लेने वाले प्रो. विद्युत चक्रवर्ती का विशेष रूप से स्वागत किया। कुलपति ने प्रो गंगा प्रसाद प्रसाइन, कुलपति, त्रिपुरा विश्वविद्यालय और प्रो कैलाश चंद्र शर्मा, पूर्व कुलपति, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के योगदान को कार्यकारिणी परिषद की बैठकों में उनके योगदान के बारे में अभिलेखित प्रस्तुति दी। दोनों सदस्यों ने कार्यकारिणी परिषद में अपना कार्यकाल पूरा किया।

विचारणीय मदों पर चर्चा किए जाने से पहले कुलपति ने परिषद को सूचित किया कि श्री टी. के. कौल, कुलसचिव दिनांक 1 फरवरी, 2021 को सेवानिवृत्ति पर पदभार छोड़ेंगे और इसलिए, कार्यकारिणी परिषद में यह उनकी अंतिम बैठक होगी। कुलपति ने विशेष रूप से कार्यकारिणी परिषद की बैठकों और सामान्य रूप से विश्वविद्यालय में श्री कौल के योगदान के बारे में प्रशंसा की।

इसके बाद, एजेंडा की विभिन्न बिन्दुओं पर निम्नानुसार चर्चा शुरू की गयी :

खंड -1
कार्यवृत्त की पुष्टि और कार्रवाई रिपोर्ट

ईसी36.1.1: ***दिनांक 11 सितंबर 2020 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 35वीं बैठक का कार्यवृत्त की पुष्टि***

दिनांक 11 सितंबर 2020 को आयोजित कार्यकारी परिषद की 35वीं बैठक के कार्यवृत्त को 29 सितंबर 2020 को सभी सदस्यों को परिचालित किए गए। परिषद के किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

दिनांक 29 सितंबर 2020 को सभी सदस्यों को परिचालित के अनुसार दिनांक 11 सितंबर 2020 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 35वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी थी।

ईसी36.1.2: ***दिनांक 11 सितंबर 2020 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 35वीं बैठक का कार्यवृत्त पर ली गयी कार्रवाई रिपोर्ट***

सचिव ने परिषद की 35वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की। परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई को नोट किया।

खंड - 2
सूचनात्मक मदें

ईसी36.2.1: संकाय सदस्यों को कार्यमुक्त किया जाना

परिषद को सूचित किया गया था कि निम्नलिखित संकाय सदस्यों को तीन महीने की अवधि के लिए विश्वविद्यालय से लियन पर कार्यमुक्त किया गया था, जिसे परिषद ने 11 सितंबर 2020 को आयोजित 35 वीं बैठक में अनुमोदित किया था। लियन अवधि समाप्त होने पर निम्नलिखित संकाय सदस्यों को स्थायी रूप से नीचे उनके सामने उल्लेखित तिथि को सेवा से कार्यमुक्त कर दिया गया था।

क्र.सं.	नाम	स्थायी रूप से कार्यमुक्त करने की तिथि
1.	डॉ. क्षेत्रिमायूम बिरला सिंह, सह प्राध्यापक, प्राणीविज्ञान विभाग	05.06.2020
2.	डॉ. थौडम रोशन सिंह सहायक प्राध्यापक गणित विभाग	05.06.2020
3.	डॉ. नम्रता सहायक प्राध्यापक मनोविज्ञान विभाग	05.06.2020

ईसी 36.2.2: ***सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति की अतिरिक्त उत्तरदायित्व संभालना***

प्रोफेसर अविनाश खरे, कुलपति को बिना किसी पारिश्रमिक के नए कुलपति की नियुक्ति होने तक सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपा गया है। शिक्षा विभाग, सिक्किम सरकार द्वारा दिनांक 8 जनवरी 2021 को आदेश जारी किया गया था और प्रो अविनाश खरे ने 15 जनवरी 2021 को अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया।

सूचीबद्ध विषय

ईसी36.2.3: श्री सुनील कुमार प्रसाद, प्रयोगशाला अटेंडेंट, रसायन विज्ञान विभाग के विरुद्ध आरोप-पत्र तैयार

परिषद को सूचित किया गया कि दिनांक 11 सितंबर, 2020 को आयोजित परिषद की 35वीं बैठक में श्री सुनील कुमार प्रसाद, प्रयोगशाला परिचारक को बड़े दंड के लिए आरोप पत्र देने की कार्रवाई की पुष्टि की। श्री सुनील कुमार प्रसाद को दिनांक 28 अप्रैल 2020 को भारी जुर्माने के लिए आरोप पत्र जारी किया गया था। उन्होंने आरोपों से इनकार किया और सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के नियम 14 के अनुसार जांच का आदेश दिया गया।

श्रीमती ग्रेस डिछेन चेंकापा, सहायक कुलसचिव को दिनांक 1 जून 2020 को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। नियमों के तहत की गयी निर्धारित जांच के बाद जांच अधिकारी ने उन्हें सभी आरोपों के लिए दोषी पाया। सीसीएस (सीसीए) नियमावली के नियम 15 के तहत श्री सुनील कुमार प्रसाद को जांच रिपोर्ट भेजी गई और 15 दिनों के भीतर जांच

अधिकारी के निष्कर्षों पर लिखित बयान या प्रस्तुति देने के लिए कहा गया। उन्होंने दिनांक 15 अक्टूबर 2020 को लिखित बयान प्रस्तुत किया जहां उन्होंने एक बार फिर सभी आरोपों से इनकार किया।

दिनांक 11 सितंबर 2020 को आयोजित परिषद की 35वीं बैठक में कार्यकारिणी परिषद ने नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनात्मक प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण के रूप में शक्तियों के प्रत्यायोजन को मंजूरी दी। शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार छोटे और बड़े दंड के लिए कुलसचिव समूह 'ग' (गैर-शिक्षण) के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण है। वर्तमान मामले में अनुशासनात्मक प्राधिकारी श्री सुनील कुमार प्रसाद द्वारा प्रस्तुत तुच्छ तर्कों से सहमत नहीं थे। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि श्री सुनील कुमार प्रसाद अपने कर्तव्यों के संबंध में आदतन लापरवाह होने के कारण विश्वविद्यालय की सेवा में बने रहने के योग्य नहीं हैं और सेवा की समाप्ति का बड़ा दंड दिया है।

श्री सुनील कुमार प्रसाद को दिनांक 12 जनवरी 2021 को आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

परिषद ने ली कार्रवाई को नोट किया।

खंड -3
अनुसमर्थित विषय

ईसी36.3.1: डॉ. अर्चना तिवारी, सहायक प्राध्यापक को सेवामुक्त किया जाना

डॉ. अर्चना तिवारी, सहायक प्राध्यापक, भौतिक विज्ञान विभाग ने 5 अक्टूबर 2020 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने पर विश्वविद्यालय से कार्यभार मुक्त करने के लिए निवेदन किया। कुलपति ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया और 5 अक्टूबर 2020 (पूर्वाह्न) को तीन महीने की अवधि के लिए उन्हें ग्रहणाधिकार पर कार्यमुक्त किया । ग्रहणाधिकार की अवधि समाप्त होने पर डॉ अर्चना तिवारी को 4 जनवरी 2021 (अपराह्न) को सिक्किम विश्वविद्यालय से स्थायी रूप से कार्यमुक्त कर दिया गया था।

परिषद ने कुलपति की कार्रवाई को अनुसमर्थन प्रदान किया।

ईसी 36.3.2: श्री बिवेक तामांग के अध्ययन अवकाश का विस्तार

परिषद ने दिनांक 8 फरवरी 2019 को आयोजित 32 वीं बैठक में श्री बिवेक तामांग, सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग को दिनांक 2 फरवरी 2019 से 1 (एक) वर्ष 10 (दस) महीने की अवधि के लिए अध्ययन अवकाश प्रदान किया, ताकि वह सिक्किम विश्वविद्यालय में अपने पीएचडी के लिए काम कर सके। उन्होंने अब दिनांक 2 दिसंबर 2020 से दिनांक 1 जून 2021 तक अपने अध्ययन अवकाश को 6 (छह) महीने की अवधि के लिए बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। कुलपति ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उन्हें दिनांक 1 जून 2021 तक की अवधि के लिए अध्ययन अवकाश का विस्तार प्रदान किया।

परिषद ने श्री बिवेक तामांग के अध्ययन अवकाश को बढ़ाने की कुलपति की कार्रवाई को अनुसमर्थन किया।

ईसी 36.3.3: विश्वविद्यालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन

परिषद को सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय ने निम्नलिखित संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किया है:

i) दिनांक 26 अगस्त 2020 को अपने भाषाविज्ञान विभाग की ओर से उत्तरी टेक्सास विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन।

ii) दिनांक 3 सितंबर 2020 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (एनआईपीईआर), कोलकाता के साथ समझौता ज्ञापन।

iii) दिनांक 11 जनवरी 2021 को भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के साथ समझौता ज्ञापन।

परिषद ने उपर्युक्त संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश करने में विश्वविद्यालय की कार्रवाई की पुष्टि की।

ईसी 36.3.4: नामग्याल तिब्बतीय विज्ञान संस्थान, देवराली में सलाहकार समिति का गठन

परिषद ने दिनांक 11 सितंबर, 2020 को आयोजित अपनी 35वीं बैठक में नामग्याल तिब्बतीय संस्थान (एनआईटी), देवराली के लिए सलाहकार समिति के सदस्यों के नामों को तीन (3) साल की अवधि के लिए मंजूरी दी। यह बताया गया है कि सलाहकार समिति में श्री ताशी तेनज़िन का नाम, अनुसंधान समन्वयक एनआईटी सूची में दो बार हुआ। एनआईटी के अनुरोध पर श्री ताशी तेनज़िन के स्थान पर सोवा रीगा के विभागाध्यक्ष संकाय को सलाहकार समिति में नामित किया गया था।

परिषद ने एनआईटी की सलाहकार समिति में विभागाध्यक्ष, सोवा रीगा के संकाय, एनआईटी को शामिल करने के लिए विश्वविद्यालय की कार्रवाई की पुष्टि की।

परिषद ने सलाहकार समिति में विभागाध्यक्ष, सोवा रीगा के संकाय को शामिल करने की विश्वविद्यालय की कार्रवाई की पुष्टि की।

ईसी 36.3.5: सिक्किम के उच्च न्यायालय द्वारा 2019 की डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 30 में फैसला सुनाया

यौन उत्पीड़न मामले में आंतरिक शिकायत समिति की रिपोर्ट के आधार पर डॉ. सिलाजीत गुहा की सेवाएं दिनांक 28 जून 2019 को समाप्त कर दी गईं, जैसा कि परिषद ने 28 जून 2019 को हुई अपनी 33 वीं बैठक में निर्णय लिया, डॉ. सिलाजीत गुहा ने इस आदेश के वीरुध अपील प्रस्तुत की। कार्यकारिणी परिषद ने दिनांक 9 दिसंबर 2019 को हुई अपनी 34वीं बैठक में उनकी अपील पर विचार नहीं किया क्योंकि मामला विचाराधीन था।

सिक्किम के उच्च न्यायालय ने दिनांक 8 दिसंबर 2020 के अपने फैसले में कहा कि कार्यकारिणी परिषद के समक्ष लंबित अपील पर दोनों पक्षों को सुनने का अवसर देने के बाद शीघ्रता से निर्णय लिया जा सकता है। न्यायालय ने आगे कहा है कि मामले के तथ्यों पर किए गए अवलोकन केवल दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करने के उद्देश्य से हैं और अपील पर विचार करते समय इसके द्वारा कार्यकारिणी परिषद को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। सभी मुद्दे और प्रश्न जो कानून के तहत चुनौती देने के लिए खुले हैं और अपील में लिए गए हैं, उस पर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्यकारिणी परिषद द्वारा निर्णय लिया जाएगा। न्यायालय ने उन सभी मुद्दों और प्रश्नों को रखा जो कानून के तहत चुनौती देने के लिए खुले हैं और एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्यकारी परिषद द्वारा तय की जाने वाली अपील में लिया गया है।

दिनांक 11 सितंबर 2020 को आयोजित परिषद की 35 वीं बैठक में कार्यकारिणी परिषद ने नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनात्मक प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण के रूप में शक्तियों को प्रत्यायोजित किया। वर्तमान मामले में, अपील समिति की सिफारिशों पर कार्यकारिणी परिषद अपीलीय प्राधिकारी है। कुलपति ने कार्यकारी परिषद की ओर से सदस्यों के रूप में डॉ. पुष्पा शर्मा, विभागाध्यक्ष, नेपाली विभाग और डॉ. वीनू पंत, विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग सहित श्रीमती नम्रता थापा, सचिव, श्रम विभाग, भारत सरकार की अध्यक्षता में अपील समिति का गठन किया।

कार्यकारी परिषद ने अपील समिति के गठन में कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि की।

ईसी 36.3.6: श्री सी.बी.छेत्री की आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति का विस्तार

परिषद ने नोट किया कि श्री सी बी छेत्री को दिनांक 30 जून 2017 से तीन वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। कुलपति द्वारा उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि को दिनांक 1 जुलाई 2020 से एक (1) वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।

परिषद ने 1 जुलाई 2020 से एक वर्ष के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी के रूप में श्री सी बी छेत्री की प्रतिनियुक्ति को बढ़ाने के लिए कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि की।

ईसी 36.3.7: कुलसचिव के रूप में श्री टी.के.कौल की सेवा का विस्तार

परिषद ने नोट किया कि श्री टी.के. कौल ने दिनांक 1 फरवरी 2020 को बासठ (62) वर्ष की आयु प्राप्त करने पर कुलसचिव के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। कुलपति ने संविधियाँ 6(3) की परंतुक 2 के तहत कुलसचिव के रूप में श्री टी.के.कौल की सेवाओं को दिनांक1 फरवरी 2021 तक अथवा नए पधाधिकारी द्वारा कार्यग्रहण किए जाने तक, जो भो पहले हो, बढ़ाया है।

कार्य परिषद ने श्री टी. के. कौल को कुलसचिव के रूप में सेवाओं को बढ़ाने के लिए कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि की।

ईसी 36.3.8: कार्यकारिणी परिषद द्वारा मनोनीत चयन समिति के सदस्य

यह सूचित किया गया था कि विश्वविद्यालय ने विभिन्न सांविधिक पदों, संकाय और अधिकारियों के चयन के लिए साक्षात्कार आयोजित किए। कुलपति ने निम्नलिखित विशेषज्ञों को चयन समितियों के लिए नामित किया।

1.	**कुलसचिव**	***परिषद द्वारा मनोनीत कार्यकारिणी परिषद का दो सदस्य*** 1. प्रो. अभिजीत दत्ता 2. प्रो. एस.एस.महापात्र ***कार्यकारिणी परिषद द्वारा एक व्यक्ति को नामित, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो*** 1. श्रीमति दीपा रानी थापा, सचिव, एसपीएससी, सिक्किम सरकार
2.	**वित्त अधिकारी**	***परिषद द्वारा मनोनीत कार्यकारिणी परिषद का दो सदस्य*** 1. प्रो. अभिजीत दत्ता 2. प्रो. एस.एस.महापात्र ***कार्यकारिणी परिषद द्वारा एक व्यक्ति को नामित, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो*** 1. श्री सी.एल. डेंजोंगपा, मुख्य मंत्री के आर्थिक सलाहकार, सिक्किम
3.	**पुस्तकालयाध्यक्ष**	***दो व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, जिन्हें विषय या प्रशासन का विशेष ज्ञान हो, कार्यकारिणी परिषद द्वारा नामित किया जाना है*** 1. प्रो. एस.के.घोष 2. प्रो. एम.पी. सतीजा ***कार्यकारिणी परिषद द्वारा एक व्यक्ति को नामित, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो*** 1. श्रीमती दीपा रानी थापा, सचिव, एसपीएससी, सिक्किम सरकार
4.	**परीक्षा नियंत्रक**	***दो व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, जिन्हें विषय या प्रशासन का विशेष ज्ञान हो, कार्यकारिणी परिषद द्वारा नामित किया जाना है*** 1. डॉ. देबाशीष चौधुरी, परीक्षा नियंत्रक, नेहु 2. श्री अनिल राज राई, सचिव, शिक्षा विभाग, सिक्किम सरकार ***परिषद द्वारा नामित कार्यकारिणी परिषद का एक सदस्य*** 1. प्रो. एस.एस.महापात्र
5.	**उप पुस्तकालयाध्यक्ष**	***संबंधित क्षेत्रों से दो विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हैं, जिन्हें कार्यकारिणी परिषद द्वारा नामित किया जाना है*** 1. प्रो. एस.के.घोष 2. प्रो. एम.पी. सतीजा
6.	**उप कुलसचिव**	***संबंधित क्षेत्रों से दो विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हैं, जिन्हें कार्यकारिणी परिषद द्वारा नामित किया जाना है*** 1. प्रो. एस.एस. हसन, कुलपति, सिक्किम प्रॉफेश्नल विश्वविद्यालय 2. डॉ. एन.आर.भूयाँ, प्राचार्य, हिमालयन फार्मेसी संस्थान

7.	**सहायक कुलसचिव**	***संबंधित क्षेत्र से विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय की सूची में नहीं हैं, जिन्हें कार्यकारिणी परिषद द्वारा नामित किया जाना*** है 3. प्रो. एस.एस. हसन, कुलपति, सिक्किम प्रॉफेश्नल विश्वविद्यालय 4. डॉ. एन.आर.भूयाँ, प्राचार्य, हिमालयन फार्मेसी संस्थान
8.	**हिंदी अधिकारी**	***संबंधित क्षेत्र से विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय की सूची में नहीं हैं, जिन्हें कार्यकारिणी परिषद द्वारा नामित किया जाना*** है 1. डॉ. चुकी लेप्चा, राज्यपाल के जनसम्पर्क अधिकारी, सिक्किम 2. सुश्री ममता अवस्थी, शिक्षा विभाग, सिक्किम सरकार
9.	**चीनी में सहायक प्राध्यापक**	1. प्रो. अनीता शर्मा, के.आर.मंगलम विश्वविद्यालय, नई दिल्ली 2. प्रो. श्रीकांत कोंडापली, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
10.	**शिक्षा में सहायक प्राध्यापक**	1. प्रो. लोकनाथ मिश्रा, मिजोरम विश्वविद्यालय 2. प्रो. नील रतन रॉय, तेजपुर विश्वविद्यालय
11.	**हिंदी में सह प्राध्यापक**	1. प्रो. चित्तरंजन मिश्रा, साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली 2. प्रो. मोहन, दिल्ली विश्वविद्यालय 3. प्रो. आर.एस. सरजू, हैदराबाद विश्वविद्यालय
12.	**प्रबंधन में सहायक प्राध्यापक**	1. प्रो. माला श्रीवास्तव, आईआईएम, कानपुर 2. प्रो. अरूप बर्मन, असम विश्वविद्यालय 3. प्रो. जे.यू. अहमद, नेहु

कारिकारिणी परिषद को बताया गया कि वह अपनी पिछली बैठक में ही विशेषज्ञों की सूची को मंजूरी दे चुकी है। हालाँकि, चल रही महामारी की स्थिति के कारण कुछ अंतिम समय में रद्द करना पड़ा। इसलिए, कुछ बदलाव किए गए थे।

कार्यकारिणी परिषद ने विभिन्न चयन समितियों को ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार विशेषज्ञों को नामित करने की कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि की।

सूचीबद्ध विषय

ईसी 36.3.9: सीधी भर्ती और सीएएस पदोन्नति के तहत अनुसंधान अंकों की गणना के लिए यूजीसी केयर सूची में सूचीबद्ध जर्नल

परिषद ने दिनांक 14 जून 2019 और दिनांक 16 सितंबर 2019 को यूजीसी सार्वजनिक सूचना के अनुसार यूजीसी केयर सूची में अनुक्रमित जर्नल से केवल अनुसंधान प्रकाशनों पर विचार करके संकायों की सीधी भर्ती और सीएएस पदोन्नति के लिए जांच प्रक्रिया में एकरूपता बनाए रखने में विश्वविद्यालय की कार्रवाई की पुष्टि की।

ईसी 36.3.10: लियन पर कार्यमुक्त किया जाना

परिषद ने डॉ. बिपुल पाल, सहायक प्राध्यापक, गणित विभाग को दिनांक 31 दिसंबर 2020 को तीन (3) महीने के लिए लियन पर कार्यमुक्त करने की कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि की।

खंड – 4
विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ विषय

ईसी6.4.1: सांविधिक और गैर-शिक्षण पदों पर भर्ती

परिषद ने नोट किया कि विश्वविद्यालय ने विभिन्न अवसरों पर विभिन्न सांविधिक और गैर-शिक्षण पदों में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इन पदों पर दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 के महीनों में साक्षात्कार आयोजित किए गए थे।

परिषद ने निम्नलिखित पदों के संबंध में चयन समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी, जैसा कि प्रत्येक के सामने उल्लेख किया गया है।

1.	कुलसचिव	कोई उपयुक्त नहीं मिला	
2.	वित्त अधिकारी	श्री मनीष मालिक श्री चाललला वेंकटेश्वर श्री कौशल किशोर वर्मा	***चयनित*** *प्रतीक्षा सूची 1* *प्रतीक्षा सूची 2*
3.	परीक्षा नियंत्रक	श्री संगड़ी मुरली मोहन श्री सृजिब बर्धन श्री सुरेश कुमार गुरुंग	***चयनित*** *प्रतीक्षा सूची 1* *प्रतीक्षा सूची 2*
4.	पुस्तकालयाध्यक्ष	श्री राम डॉ. देव दास लाल श्री सौमेन अधिकारी	***चयनित*** *प्रतीक्षा सूची 1* *प्रतीक्षा सूची 2*
5.	उप पुस्तकालयाध्यक्ष	श्री सुजीत कुजूर श्री सतीश कुमार	***चयनित*** *प्रतीक्षा सूची 1*
6.	उप कुलसचिव	श्रीमती ग्रेस डिछेन चेंकापा श्री सी.बी. छेत्री	***चयनित*** *प्रतीक्षा सूची 1*
7.	सहायक कुलसचिव	कोई उपयुक्त नहीं मिला	
8.	हिन्दी अधिकारी	सुश्री जुतिका गोस्वामी श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव	***चयनित*** *प्रतीक्षा सूची 1*

ईसी 36.4.2: शिक्षण पदों में नियुक्ति

परिषद ने बताया कि विश्वविद्यालय ने दिनांक 2 जुलाई 2019 को 72 शिक्षण पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था। विज्ञापन के आधार पर आवेदन प्राप्त हुए और उन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया। साक्षात्कार वर्ष 2020 के फरवरी महीने से आयोजित किए गए थे। नोवल कोरोनावायरस (कोविड-19) महामारी के प्रकोप के कारण लॉकडाउन घोधित किए जाने के कारण सभी विभागों के साक्षात्कार पूरे नहीं हो सके। जब लॉकडाउन में ढील दी गई और यात्रा पुन: शुरू हो गई, शेष विभागों के लिए (भौतिकी को छोड़कर) साक्षात्कार वर्ष 2020 के नवंबर महीने में सिलीगुड़ी में आयोजित किए गए थे।

परिषद ने विभागों में चयन के संबंध में चयन समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी, जैसा कि प्रत्येक के सामने दिखाए गए पदों के लिए दिया गया है:

क्र.सं	विभाग	पद	नाम	
1	**चीनी**	सहायक प्राध्यापक	उलमान स्नेहल अजित	***चयनित***
			शुभेन्दु घोषाल	*प्रतीक्षा सूची 1*
			शुभाम कर्मकार	*प्रतीक्षा सूची 2*
2	**शिक्षा**	सहायक प्राध्यापक	***(एससी -1 नियमित)***	
			श्री कनगराज के.	***चयनित***
			श्री वीरेंद्र कुमार चंडोरिया	*प्रतीक्षा सूची 1*
			डॉ. नरेश सिंह	*प्रतीक्षा सूची 2*
			श्री बप्पादित्य अधिकारी	*प्रतीक्षा सूची 3*
			(एससी-1 अनुबंध आधारित)	
			श्री कनगराज के	***चयनित***
			श्री वीरेंद्र कुमार चंडोरिया	*प्रतीक्षा सूची 1*
			डॉ. नरेश सिंह	*प्रतीक्षा सूची 2*
			श्री बप्पादित्य अधिकारी	*प्रतीक्षा सूची 3*
			(सामान्य-1 अनुबंध आधारित)	
			श्री वीरेंद्र कुमार चंडोरिया	***चयनित***
			श्री चन्द्रकान्त सखाराम लोंकर	*प्रतीक्षा सूची 1*
			सुश्री राजश्री	*प्रतीक्षा सूची 2*
			श्री राजेश कुमार	*प्रतीक्षा सूची 3*
3	**हिन्दी**	सह प्राध्यापक	डॉ. हरदीप सिंह	***चयनित***
6	**प्रबंधन**	सहायक प्राध्यापक	सुश्री शालिनी शुक्ला	***चयनित***
			सुश्री पियाली चंद्र खान	*प्रतीक्षा सूची 1*
			सुश्री रेखा	*प्रतीक्षा सूची 2*

ईसी 36.4.3: शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए सात महाविद्यालयों के अस्थायी संबद्धता के नवीकरण

कार्यकारिणी परिषद ने निरीक्षण दलों की अनुशंसा एवं कुलपति की स्वीकृति पर शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए निम्नलिखित सात महाविद्यालयों की संबद्धता को स्वीकृति प्रदान की।

1. सरकारी फार्मेसी महाविद्यालय, साजोंग, ईस्ट सिक्किम
2. हिमालयन फार्मेसी संस्थान, माझीतार, ईस्ट सिक्किम
3. लोयोला शिक्षा महाविद्यालय, नामची, साउथ सिक्किम
4. सिक्किम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, चिसोपानी, साउथ सिक्किम
5. सरकारी वोकेशनल महाविद्यालय, डेंताम, वेस्ट सिक्किम
6. सिक्किम सरकारी बी.एड महाविद्यालय, सोरेंग, वेस्ट सिक्किम
7. सिक्किम सरकारी विज्ञान महाविद्यालय, वेस्ट सिक्किम

ईसी 36.4.4: सरकारी कला महाविद्यालय, मंगशिला, नॉर्थ सिक्किम को अस्थायी संबद्धता प्रदान

कार्यकारिणी परिषद ने निरीक्षण दल की सिफारिशों और कुलपति की मंजूरी के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए सरकारी कला कॉलेज, मंगशिला, नॉर्थ सिक्किम को अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की मंजूरी दी।

ईसी 36.4.5: *डॉ. विजय कुमार थंगल्लापालि, सह प्राध्यापक और अन्य क□ खिलाफ* PE0102016A0003 *में सीबीआई मामला*

परिषद को सूचित किया गया था कि दिनांक 29 जून 2018 को आयोजित 31 वीं बैठक में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से प्रथम चरण की सलाह लेने के बाद निम्नलिखित संकाय सदस्यों को चार्जशीट जारी करने का निर्णय लिया गया।

1. डॉ. वी. कृष्ण अनंत, सह प्राध्यापक
2. डॉ. अमिताभ भट्टाचार्य, सह प्राध्यापक
3. डॉ. बिजय कुमार थंगेल्लापाली, सह प्राध्यापक

परिषद ने डॉ. सुबीर मुखोपाध्याय, सह प्राध्यापक और डॉ. धनी राज छेत्री, सह प्राध्यापक से स्पष्टीकरण मांगने का निर्णय लिया।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से डॉ वी कृष्ण अनंत, डॉ अमिताभ भट्टाचार्य और डॉ विजय कुमार थंगेलापाली के खिलाफ प्रमुख दंड कार्यवाही शुरू करने के लिए पहले चरण की सलाह उनके दिनांक 6 मई 2019 के ज्ञापन के माध्यम से प्राप्त हुई थी, जिसे एमएचआरडी द्वारा दिनांक 30 मई 2019 के पत्र के माध्यम से हमें सूचित किया गया था। इन संकाय सदस्यों को दिनांक 27 जून 2019 को भारी जुर्माने का आरोप पत्र जारी किया गया था। जारी किए गए आरोप पत्र को परिषद के समक्ष रखा गया था। परिषद को सूचित किया गया कि प्रशासनिक परिस्थितियों और मार्च 2020 से चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण कार्यकारिणी परिषद की 34 वीं और 35 वीं बैठक में मामला प्रस्तुत नहीं किया जा सका। यह भी सूचित किया कि सभी तीन संकाय सदस्यों ने आरोपों से इनकार किया और व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की इच्छा व्यक्त की। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए.पी. सुब्बा को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए सीसीएस (सीसीए) नियमों के तहत जांच प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। श्रीमती ग्रेस डी. चंकपा, सहायक कुलसचिव को आरोपों की धारा के समर्थन में मामले को प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।

शिक्षा मंत्रालय (पूर्व में एमएचआरडी) ने विश्वविद्यालय को जांच पूरी होने के बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग से दूसरे चरण की सलाह लेने की सलाह दी थी।

परिषद को यह भी बताया गया कि डॉ. सुबीर मुखोपाध्याय और डॉ धनी राज छेत्री से स्पष्टीकरण मांगा गया था जिन्होंने अनजाने में हुई चूक के लिए माफी मांगी थी। कुलपति ने उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया लेकिन उन्हें सलाह दी गई कि भविष्य में इस तरह के मामले से निपटने में अधिक सावधानी बरतें।

परिषद को आगे सूचित किया गया कि जांच प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें उन्होंने यह कहते हुए अपना निष्कर्ष नहीं दिया है कि आरोप पत्र कार्यकारिणी परिषद द्वारा अनुमोदित नहीं थे और इसलिए, आरोप ज्ञापन कानून की नजर में गैर-अनुमानित हैं और उन्होंने इसके समर्थन में उच्चतम न्यायालय के फैसले को उद्धृत किया है। विश्वविद्यालय ने जांच

प्राधिकरण की रिपोर्ट पर कानूनी राय मांगी, जिसमें यह भी राय है कि आरोप ज्ञापन गैर-स्थायी है और उसकी राय है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी के पास नया आरोप पत्र जारी करने और नए सिरे से जांच कार्यवाही करने का विकल्प है।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद परिषद ने निम्नलिखितों को मंजूरी दी:

1. बड़ी जुर्माना कार्यवाही शुरू करने और जांच करने के लिए यदि आवश्यक हो तो डॉ. वी. कृष्ण अनंत, डॉ अमिताभ भट्टाचार्य और डॉ विजय कुमार थेंगल्लापाली को आरोप ज्ञापन दिया जाएँ, जिससे कार्यवाही तेजी से समाप्त हो जाएँ(3 महीने से अधिक नहीं)। जांच अधिकारी और प्रस्तुतीकरण अधिकारी की नियुक्ति के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया है।

2. जांच समाप्त होने के बाद उचित कार्रवाई करने हेतु सुझाव देते हुए शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से केंद्रीय सतर्कता आयोग से दूसरे चरण की सलाह लेने के लिए कुलपति को अधिकृत किया जाता है।

3. परिषद ने इस तरह के मामलों से निपटने में भविष्य में और अधिक सावधानी बरतने के लिए डॉ. सुबीर मुखोपाध्याय और डॉ धनी राज छेत्री से माफी स्वीकार करने में कुलपति की कार्रवाई की भी पुष्टि की।

ईसी 36.4.6: शांति एवं द्वंद्व अध्ययन एवं प्रबंधन विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. दिनेश कुमार अहिरवार के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत पर जांच रिपोर्ट

परिषद को सूचित किया गया कि शांति एवं द्वंद्व अध्ययन एवं प्रबंधन विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. दिनेश कुमार अहिरवार के खिलाफ एक महिला संकाय सदस्य से दिनांक 24 अगस्त 2020 को यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच शुरू करने के लिए दिनांक 25 अगस्त 2020 को पीठासीन अधिकारी, आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) को शिकायत भेजी गई थी।

इस विषय को परिषद में प्रस्तुत करने के लिए आईसीसी की पीठासीन अधिकारी डॉ संध्या थापा को बुलाया गया था। उन्होने परिषद को सूचित किया कि आईसीसी ने कई बैठकें/कार्यवाहियां कीं जिसमें शिकायतकर्ता, आरोपी और मामले से जुड़े विभिन्न गवाहों की व्यक्तिगत सुनवाई की गई। कार्यवाही 31 अगस्त 2020, 7 सितंबर 2020, 11 सितंबर 2020, 15 सितंबर 2020, 18 सितंबर 2020, 29 सितंबर 2020, 13 अक्टूबर 2020 और 14 अक्टूबर 2020 को हुई। आंतरिक शिकायत समिति ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए. पी. सुब्बा से कानूनी सलाह और मार्गदर्शन भी प्राप्त किया और 23 नवंबर 2020 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। जांच रिपोर्ट की प्रति अवलोकन हेतु परिषद के समक्ष रखी गई थी।

परिषद द्वारा यह पाया गया कि आईसीसी ने जांच के बाद और रिकॉर्ड पर सामग्री पर विचार करने के बाद डॉ दिनेश कुमार अहिरवार को एक महिला की विनम्रता का अपमान करने का दोषी पाया जो सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 में परिभाषित के अनुसार गंभीर कदाचार है। आईसीसी ने नियम 11 (vi) के तहत वेतनमान जिसमें वह वर्तमान में काम कर रहा है में एक चरण (शैक्षणिक स्तर 10 के चरण 9 से चरण 8 तक) में कम करते हुए और 5 वर्षों की अवधि के लिए संचयी प्रभाव के साथ

भविष्य की वेतन-वृद्धि को रोकते हुए एक बड़ा जुर्माना लगाने की सिफारिश की। साथ ही 5 वर्ष की उक्त अवधि के दौरान सीएएस के तहत उसकी पदोन्नति पर रोक लगेगी।

परिषद को यह भी बताया गया कि यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्रों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण) के खंड 8 (3) के अनुसार, जांच रिपोर्ट की एक प्रति दोनों पक्षों को दी गई थी। दलों। शिकायतकर्ता ने दिनांक 31 दिसंबर 2020 की अपनी आपली में कहा कि आईसीसी द्वारा अनुशंसित दंड मध्यम प्रकृति का है। उन्होंने उनकी सेवा समाप्त करने की मांग की है। डॉ. दिनेश कुमार अहिरवार ने अपनी अपील दिनांक 6 जनवरी 2021 में आईसीसी की जांच रिपोर्ट को कानून के विपरीत बताया है और शिकायतकर्ता द्वारा मामले में झूठा फंसाने का दावा किया है। दोनों पक्षों की अपीलों को परिषद के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।

परिषद ने विस्तृत चर्चा के बाद आईसीसी की जांच रिपोर्ट और सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और वेतनमान में एक चरण की कमी (शैक्षणिक स्तर 10 के चरण 9 से चरण 8 तक) और पाँच वर्ष की अवधि के लिए संचयी प्रभाव के साथ उनकी भविष्य की वेतन वृद्धि को रोकने का फैसला किया। इस अवधि के दौरान सीएएस के तहत उनकी पदोन्नति/नियुक्ति पर रोक लगी जाएगी।

ईसी 36.4.7: शिक्षण कर्मचारियों के अनुबंध अवधि का विस्तार

परिषद ने मौजूदा नियमों और शर्तों पर दिनांक 1 जनवरी 2021 से छह महीने की अवधि के लिए निम्नलिखित संकाय सदस्यों की अनुबंध अवधि के विस्तार को मंजूरी दी:

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**विभाग**
1.	प्रो. इम्तियाज़ गुलाम अहमद	प्रोफेसर	विधि
2.	प्रो. संजय बंदोपाध्याय	प्रोफेसर	संगीत
3.	प्रो. बिनोद चंद्र तिवारी	प्रोफेसर	भूविज्ञान
4.	श्री बाईचुंग छिरिंग भूटिया	सह प्राध्यापक	भूटिया
5.	डॉ. हिस्से वांगचुक भूटिया	सहायक प्राध्यापक	
6.	श्री बल बहादुर सुब्बा	सह प्राध्यापक	लिम्बू
7.	श्री नोरबू छिरिंग लेप्चा	सह प्राध्यापक	लेप्चा
8.	सुश्री दुकमित लेप्चा	सहायक प्राध्यापक	
9.	डॉ. आर.एस.एस. नेहरू	सहायक प्राध्यापक	शिक्षा

.

ईसी 36.4.8: नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच (एनईसीटीएआर) शिलांग के साथ समझौता ज्ञापन

परिषद को सूचित किया गया था कि नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच (एनईसीटीएआर), शिलांग ने सिक्किम विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश करने के लिए प्रस्ताव भेजा है ताकि कौशल विकास, बौद्धिक संपदा (आईपी), ज्ञान साझा करने, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और प्रेरण और प्रौद्योगिकी विस्तार और समेकन के माध्यम से नवाचार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए सहायता प्रदान करते हुए इसे अपनाने और इसके प्रसार और सामान्य हित के क्षेत्र में व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास/ सहायता को बढ़ावा दिया जा सके।

समझौता ज्ञापन का विशिष्ट उद्देश्य संयुक्त रूप से ***"पूर्वोत्तर क्षेत्र में कसिर की खती प्रक्रिया की स्थापना"*** शीर्षक एक परियोजना शुरू करना है, जिसे एक धर्मार्थ समाज, "सत्यानंद आश्रम" द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इस समझौता ज्ञापन के तहत, एनईसीटीएआर ने विश्वविद्यालय से परियोजना शुरू करने के लिए एक उपयुक्त भूमि खंड / स्थान प्रदान करने और विश्वविद्यालय के बागवानी और वनस्पति विभाग के माध्यम से सत्यानंद आश्रम के डॉ. साकेत कुमार और उनकी टीम को स्थानीय सहायता प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है। सिक्किम विश्वविद्यालय परियोजना में भाग लेगा और

क) वैज्ञानिक इनपुट और मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

ख) यांगयांग (और अन्य स्थानों में किसान मंच के माध्यम से) में अपने आगामी परिसर में आवश्यक आयाम की भूमि उपलब्ध कराएगा और परियोजना को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

ग) सिक्किम में रंगपो चेकपोस्ट के माध्यम से कर्मियों और सामग्री को लाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा।

प्रतिभागी विभाग और सिक्किम विश्वविद्यालय के कार्मिक बागवानी विभाग होंगे: डॉ नीलाद्री बाग, डॉ लक्ष्मण शर्मा और उनके छात्र (यदि आवश्यक हो) और वनस्पति विज्ञान विभाग: प्रो. एस.एस. शर्मा, डॉ धनी राज छेत्री और उनके छात्र (यदि आवश्यक हो)।

परिषद ने सिक्किम विश्वविद्यालय और नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच (एनईसीटीएआर), शिलांग के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी।

खंड -5
प्राधिकारणों/समितियों का कार्यवृत्त
शून्य

खंड – 6
अध्यक्ष की ओर से मुद्दा

शून्य

अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद के सात बैठक समाप्त हुई।

(टी.के.कौल)
कुलसचिव और सचिव
कार्यकारिणी परिषद

(प्रो. अविनाश खरे)
कुलपति और अध्यक्ष
कार्यकारिणी परिषद